सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की आपात बैठक
का कार्यवृत्त

दिनांक : 27.06.2018
समय : मध्याह्न 12:00 बजे से
स्थान : योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो॰ राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ सदानन्द शुक्ल	**3-**	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
4-	प्रो॰ राजनाथ	**5-**	प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
6-	डा॰ विजय कुमार पाण्डेय	**7-**	डा॰ सूर्यकान्त
8-	डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा	**9-**	श्री ए.के. द्विवेदी (वित्त अधिकारी)
10-	**श्री राजबहादुर** (कुलसचिव) - सचिव		

मंगलाचरण- प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए नव आगन्तुक कुलसचिव एवं उप कुलसचिव का परिचय सदस्यों से कराया तथा आशा व्यक्त की कि नव आगन्तुक अधिकारीगणों के आने से विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापो में गतिशीलता आयेगी तत्पश्चात् कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम - माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा दिये निर्देश के अनुपालन में जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छायाप्रति प्राप्त कराने के संदर्भ में।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छाया प्रति प्राप्त कराने के संदर्भ में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2018 में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त को माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को कुलसचिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकनोपरान्त मा.राज्य सूचना आयुक्त ने उन्हें निर्देश दिया कि वांछित पाण्डुलिपियों की छायाप्रतियां प्रत्यावेदक को एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जायें।

कार्यपरिषद् ने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत मा.सूचना आयोग एवं प्रत्यावेदक श्री सोमेश तिवारी के प्रत्यावेदन पर लिये गये अपने निर्णय दिनांक 27.03.2018 पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि- विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित पाण्डुलिपियां जो बौद्धिक सम्पदा की श्रेणी में आती है इसकी महत्ता को दृष्टि में रखते हुए पाण्डुलिपियों की छायाप्रति देने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा श्री सोमेश तिवारी को पुनः यह अवगत कराया जाये कि- **वे विश्वविद्यालय के किसी कार्य दिवस में पुस्तकालय में आकर पाण्डुलिपि का अध्ययन कर सकते हैं, परन्तु सम्बन्धित पाण्डुलिपियों की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।**

साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि मा. राज्य सूचना आयोग में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिये कार्यपरिषद् के सदस्य डा. सूर्यकान्त, पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाये।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार-

वित्त अधिकारी ने परिषद् को अवगत कराया कि वित्त समिति में कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है अतः कार्यपरिषद् द्वारा वित्त समिति का एक सदस्य निर्वाचित होना है।

उक्त पर विचार करते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से **वित्त समिति के उक्त श्रेणी के सदस्य को निर्वाचित करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया।**

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिवजी / मा० कुलपतिजी
कृपया अवलोकनार्थ
27/6/18 27/6/18
27.6.18

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी